न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 — 52/23

अनवान : —

1. महेन्द्रपाल पुत्र उदमीराम जाति ब्राहमण निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा हाल वार्ड नं0 7 थालड़का बारानी जिला हनुमानगढ़।
2. नवीन पुत्र उदमीराम जाति ब्राहमण निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

:—वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र मामचन्द जाति ब्राहमण निवासी सिकरोड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मूर्तीचौक भादरा तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल **वादीगण**
श्री हरदत रूहिल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 17/7/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 बी.एच.पी. के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल किता 30 की नहरी 6.2000है0 गै0मु0 खाला 0.1250है0, मु0न0 26 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 13, 18 ता 23 कुल किता 21 की नहरी 4.2010है0, गै0मु0 खाला 0.1000है0, मु0न0 33 के किला नं0 2, 3 कुल किला 2 की नहरी 0.5060है0, कुल किता 53 की कुल 11.1320है0 जिसमें नहरी 10.9070है0, गै0मु0 खाला 0.2250है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाता की दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 महेन्द्रपाल का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 नवीन का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल का 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले बाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुए है। राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद होता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 3 ने राजीनाम पेश किया व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामे के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 बी.एच.पी. के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 1 ता 4 सम्पूर्ण, किला नं0 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 कुल किता 30 की नहरी 6.2000है0 गै0मु0 खाला 0.1250है0, मु0न0 26 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7 ता 13, 18 ता 23 कुल किता 21 की नहरी 4.2010है0, गै0मु0 खाला 0.1000है0, मु0न0 33 के किला नं0 2, 3 कुल किला 2 की नहरी 0.5060है0, कुल किता 53 की कुल 11.1320है0 जिसमें नहरी 10.9070है0, गै0मु0 खाला 0.2250है0 कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाता की दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 1 महेन्द्रपाल का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 नवीन का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल का 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी संख्या 1 महेन्द्रपाल पुत्र उदमीराम खातेदारः- चक 2 बीएचपी करणपुरा के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 11 ता 13, किला नं0 17 ता 24 कुल किता 11 की 2.783है0

वादी संख्या 2 नवीन पुत्र उदमीराम खातेदारः- चक 2 बीएचपी के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 25 के किला नं0 1 ता 10 व 14 की संपूर्ण, किला नं0 5 व 6 प्रत्येक में 0.025है0 खाला कुल किता 11 की 2.783है0 जिसमें 0.050है0 खाला, नहरी 2.733है0

प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल पुत्र मामचन्द खातेदारः- चक 2 बीएचपी करणपुरा के खाता संख्या 46/38 के मु0न0 26 के किला नं0 1 ता 4 सम्पूर्ण प्रत्येक में 0.025है0 खाला, किला नं0 7 ता 13, किला नं 18 ता 23 संपूर्ण, किला नं0 2, 3 संपूर्ण, मु0न0 25 के किला नं0 15, 16, 25 प्रत्येक में 0.025है0 खाला कुल किता 22 की 5.566है0 जिसमें मु0न0 26 के किला नं0 18, 19, 20, मु0न0 25 के किला नं0 16 प्रत्येक में 0.013है0 रास्ता, उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर गैर मुमकीन रास्ता 0.052है0, खाला 0.175है0 नहरी 5.414है0

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 54/2023
अनवान : –

1. अमीत पुत्र स्व0 उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. कमलेश पत्नी स्व0 उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा त0 भादरा। **वादीगण**

बनाम

1. अमीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा
2. ममता पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. कोमल पुत्री उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां वादी
श्री उम्मेद मोठसरा प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 12/07/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 104/87 के खसरा संख्या 109/1 की 4.085है0, खसरा संख्या 311 की 7.271है0 बारानी कुल 11.356है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता संख्या 63/47 के मु0न0 85 के किला नं0 11, 20, 21, मु0न0 86 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 कुल 2.277है0 नहरी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है।

वादी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाये मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 का वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक

राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 104/87 के खसरा संख्या 109/1 की 4.085है0, खसरा संख्या 311 की 7.271है0 बारानी कुल 11.356है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता संख्या 63/47 के मु0न0 85 के किला नं0 11, 20, 21, मु0न0 86 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 कुल 2.277है0 नहरी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के अन्य वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र उम्मेदसिंह के फौत होने पर उसके जायज वारिसान वाद में वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 के रूप में उपस्थित है। उपरोक्त वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के नाम अन्य भूमि रोही मौजा करनपुरा में स्थित हैं। चुंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वाद भूमि से वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक करनपुरा बारानी के खाता सं0 104/87 के खसरा संख्या 109/1 की 4.085है0, खसरा संख्या 311 की 7.271है0 बारानी कुल 11.356है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज व इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 के आर पी के खाता संख्या 63/47 के मु0न0 85 के किला नं0 11, 20, 21, मु0न0 86 के किला नं0 14 ता 17, 24 व 25 कुल 2.277है0 नहरी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मे से प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण सं0 1 अमीत व वादीगण सं0 2 कमलेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है । यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/[illegible] को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:44:54 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़